

पूछे जाने वाले प्रश्न :-

1. सूचना क्या है?

आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2(एफ) के अनुसार, (एफ) "सूचना" का अर्थ किसी भी रूप में कोई भी सामग्री है, जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी शामिल है, जिसे किसी अन्य कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा एक्सेस किया जा सकता है;

2. सार्वजनिक प्राधिकरण क्या है?

आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2(एच) के अनुसार, "सार्वजनिक प्राधिकरण" का अर्थ है कोई भी प्राधिकरण या निकाय या स्वशासन की संस्था जो

(ए) संविधान द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित की गई है;

(बी) संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा;

(सी) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा;

(डी) जारी अधिसूचना या उपयुक्त सरकार द्वारा किए गए आदेश द्वारा, और इसमें कोई भी शामिल है

(i) स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय;

(ii) गैर-सरकारी संगठन जो उचित सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित हो;

3. सूचना का अधिकार क्या है?

आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2(जे) के अनुसार, (जे) "सूचना का अधिकार" का अर्थ इस अधिनियम के तहत सुलभ सूचना का अधिकार है जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में है और इसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं-

(i) कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स, अर्क या प्रमाणित प्रतियां लेना;

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

(iv) डिस्कट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना प्राप्त करना, जहां ऐसी जानकारी कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस में संग्रहीत होती है;

4. लोक सूचना अधिकारी क्या है?

आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 2(एम) के अनुसार, एक सार्वजनिक प्राधिकरण आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 5(1) के तहत कई केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 5(2) के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी को आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार जनता को सूचना प्रदान करने के लिए नामित कर सकता है।

5. आर.टी.आई. अधिनियम के तहत तीसरा पक्ष क्या है?

आर.टी.आई. अधिनियम 2005 की धारा 2(एन) के तहत, "तीसरे पक्ष" का अर्थ सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है और इसमें सार्वजनिक प्राधिकरण भी शामिल है।

6. मैं इस पोर्टल के माध्यम से किस सार्वजनिक प्राधिकरण से अनुरोध कर सकता हूँ?

कोई आवेदक जो आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वह विश्वविद्यालय से आर.टी.आई. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध कर सकता है।

7. आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के अनुसार सूचना प्राप्त करने के लिए मैं अपना आवेदन कैसे लिखूँ?

आवेदन का पाठ आर.टी.आई. अनुरोध प्रपत्र के निर्धारित कॉलम में लिखा जा सकता है। वर्तमान में, आवेदन का पाठ केवल 3000 अक्षरों तक सीमित है। यदि किसी आवेदन के पाठ में 3000 से अधिक अक्षर हैं, तो इसे फॉर्म के "सहायक दस्तावेज़" कॉलम में पीडीएफ अटैचमेंट के रूप में अपलोड किया जा सकता है।

8. मैं आर.टी.आई. शुल्क का भुगतान कैसे करूँ?

आर.टी.आई. अनुरोध प्रपत्र के पहले पृष्ठ को भरने के बाद, गैर-बीपीएल आवेदक को निर्धारित आर.टी.आई. शुल्क के भुगतान के लिए "भुगतान करें" बटन पर क्लिक करना होगा। आवेदक निम्नलिखित तरीकों से निर्धारित आरटीआई शुल्क का भुगतान कर सकता है:

- i. एस.बी.आई. भुगतान गेटवे और उसके संबद्ध बैंकों के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग।
- ii. भारतीय स्टेट बैंक के ए.टी.एम.-सह-डेबिट कार्ड का उपयोग करना।

iii. मास्टर/वीज़ा का क्रेडिट/डेबिट कार्ड। यह ध्यान देने योग्य है कि आरटीआई नियम, 2012 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले नागरिक को कोई आर.टी.आई. शुल्क नहीं देना पड़ता है। हालांकि, बी.पी.एल. आवेदक को आवेदन के साथ इस संबंध में उपयुक्त सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करनी होगी।

9. क्या मुझे आर.टी.आई आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने के लिए कोई रसीद मिलती है?

आवेदन जमा करने पर, एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी, जिसे आवेदक भविष्य में किसी भी संदर्भ के लिए संदर्भित कर सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस आर.टी.आई. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दायर आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से विश्वविद्यालय के "नोडल अधिकारी" के पास पहुंचेगा और संबंधित विभाग के सी.पी.आई.ओ. के पास "नहीं"। नोडल अधिकारी संबंधित सी.पी.आई.ओ. को आर.टी.आई. आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करेगा।

10. अगर मैं आर.टी.आई. अनुरोध फॉर्म में गलत सार्वजनिक प्राधिकरण का चयन करता हूं तो मेरे आवेदन का क्या होगा?

यदि आर.टी.आई. आवेदन उस लोक प्राधिकरण के लिए नहीं है जिसे आवेदक ने चुना है, तो उक्त लोक प्राधिकरण का "नोडल अधिकारी" आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित केंद्रीय लोक प्राधिकरण के "नोडल अधिकारी" को स्थानांतरित कर देगा, यदि वह इस पोर्टल से जुड़ा हुआ है और भौतिक रूप से उस केंद्रीय लोक प्राधिकरण को जो इस पोर्टल से जुड़ा हुआ नहीं है, आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 6(3) के तहत। यह ध्यान दिया जा सकता है कि दिल्ली के एन.सी.टी. सहित राज्य लोक प्राधिकरणों के लिए इस पोर्टल के माध्यम से दायर आर.टी.आई. आवेदन, बिना किसी शुल्क की वापसी के वापस कर दिए जाएंगे।

11. क्या मुझे अतिरिक्त शुल्क (यदि कोई हो) के बारे में सूचित किया जाएगा?

यदि सूचना प्रदान करने के लिए लागत का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता होती है, तो सी.पी.आई.ओ. इसकी सूचना देगा, जिसे आवेदक आर.टी.आई. ऑनलाइन पोर्टल में "स्थिति देखें" विकल्प के माध्यम से देख सकता है और इसके लिए आवेदक को एक ई-मेल अलर्ट या एस.एम.एस. या दोनों भी भेजे जाएंगे। अतिरिक्त शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए, आवेदक को आर.टी.आई. ऑनलाइन पोर्टल में 'स्थिति देखें' विकल्प का उपयोग करना होगा और अनुरोध की पंजीकरण संख्या प्रदान करने पर, "भुगतान करें" का विकल्प उपलब्ध होगा।

12. मैं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील कैसे दायर करूँ?

प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील करने के लिए, आवेदक को आर.टी.आई. ऑनलाइन पोर्टल में "प्रथम अपील प्रस्तुत करें" विकल्प का चयन करना होगा और दिखाई देने वाले फॉर्म को भरना होगा। प्रथम अपील दायर करने के लिए मूल आवेदन की पंजीकरण संख्या और ई-मेल आई.डी. की आवश्यकता होती है।

13. क्या मुझे अपील दायर करने के लिए कोई भुगतान करना होगा?

आर.टी.आई. अधिनियम के अनुसार, प्रथम अपील के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है।

14. क्या मुझे आर.टी.आई. ऑनलाइन पोर्टल से कोई एस.एम.एस. मिलता है?

वैकल्पिक होने के बावजूद, एस.एम.एस. अलर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदक/अपीलकर्ता द्वारा मोबाइल नंबर प्रदान किया जा सकता है।

15. अगर मैं अपना लॉगिन क्रेडेंशियल भूल गया हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ?

आप अपने पिछले आरटीआई अनुरोधों/अपीलों को देखने के लिए इतिहास देखें कॉलम में जा सकते हैं।

16. क्या आरटीआई ऑनलाइन वेब पोर्टल पर यूजर अकाउंट बनाना अनिवार्य है?

नहीं। आप सीधे "सबमिट रिक्वेस्ट" टैब पर अपनी आर.टी.आई. फाइल कर सकते हैं।

17. इस पोर्टल पर आर.टी.आई. रिक्वेस्ट/अपील कितने समय तक रखी जाती है?

व्यू हिस्ट्री/व्यू स्टेटस में नागरिक 3 साल की अवधि के लिए रखे गए आर.टी.आई. मामलों को देख सकते हैं।

18. यदि मेरे खाते से राशि कट जाती है, लेकिन पंजीकरण संख्या उत्पन्न नहीं होती है, तो मुझे क्या करना चाहिए?

कृपया बार-बार भुगतान करने का प्रयास न करें या एक बार फिर से अनुरोध प्रस्तुत करने का प्रयास न करें। कृपया 24 से 48 कार्य घंटों तक प्रतीक्षा करें क्योंकि समाधान के बाद पंजीकरण संख्या उत्पन्न होगी। यदि यह निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्पन्न नहीं होती है, तो कृपया अपने लेन-देन विवरण के साथ [helprtionlinedopt\[at\]nic\[dot\]in](mailto:helprtionlinedopt[at]nic[dot]in) पर एक ई-मेल भेजें।

19. जब पोर्टल मुझे पहली अपील दायर करने की अनुमति नहीं दे रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए?

यह निम्नलिखित दो स्थितियों में हो सकता है:

- जब आपका आरटीआई आवेदन भौतिक रूप से किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया हो, जो इस पोर्टल से जुड़ा नहीं है। ऐसे मामले में, आपको संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को भौतिक रूप से अपनी अपील दायर करनी होगी।

- ii. दूसरा मामला यह हो सकता है कि यदि आपके आरटीआई आवेदन का सीपीआईओ द्वारा उत्तर नहीं दिया गया है और 30 दिन की अवधि समाप्त नहीं हुई है। ऐसे मामले में, आप 30 दिनों की निर्धारित समय अवधि पूरी होने के बाद ही प्रथम अपील दायर कर सकते हैं।
- 20. क्या मैं पहले भौतिक रूप से दायर किसी भी आर.टी.आई. आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रथम अपील दायर कर सकता हूँ?**
नहीं, ऑनलाइन प्रथम अपील केवल पहले दायर किए गए ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के विरुद्ध ही दायर की जा सकती है।
- 21. मेरे द्वारा दायर आर.टी.आई. आवेदन मेरे उपयोगकर्ता खाते के इतिहास में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है?**
यदि आपने सीधे आरटीआई या प्रथम अपील दायर करने का विकल्प चुना है, अर्थात् अपने उपयोगकर्ता खाते में लॉग इन किए बिना, तो ऐसे मामलों में आप अपने पंजीकृत खाते के इतिहास में दायर आरटीआई या अपील नहीं देख पाएंगे। हालाँकि आप हमेशा दिए गए पंजीकरण क्रमांक के साथ "स्थिति देखें" में इसकी स्थिति की जाँच कर सकते हैं।
- 22. मुझे एक ही आरटीआई आवेदन दायर करने के बावजूद कई आरटीआई पंजीकरण संख्याएँ क्यों मिली हैं?**
यह वह मामला है जहाँ आपके आरटीआई आवेदन को कई सीपीआईओ को अग्रेषित किया गया है क्योंकि मांगी गई जानकारी एक से अधिक पीआईओ के पास है।
- 23. मैं अपने आर.टी.आई. आवेदन या प्रथम अपील की स्थिति/उत्तर कैसे देख सकता हूँ?**
ऑनलाइन दायर आरटीआई आवेदन या प्रथम अपील की स्थिति/उत्तर आवेदक द्वारा "स्थिति देखें" पर क्लिक करके देखा जा सकता है।
- 24. यदि 48 कार्य घंटों के बाद भी पंजीकरण संख्या मेरे ईमेल या मोबाइल नंबर पर प्राप्त नहीं होती है तो क्या होगा?**
जिन मामलों में भुगतान के तुरंत बाद पंजीकरण संख्या उत्पन्न नहीं होती है, उनके लिए बैंक स्कॉल के समाधान के बाद पंजीकरण संख्या उत्पन्न की जाती है। इस प्रक्रिया में 24 से 48 कार्य घंटे लग सकते हैं। यदि किसी को अभी भी पंजीकरण संख्या प्राप्त नहीं होती है, तो वे राशि की वापसी के लिए अपने संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं।
- 25. यदि "आवेदक से आवश्यक सहायक दस्तावेज" के रूप में अलर्ट आता है तो सहायक दस्तावेज कैसे अपलोड करें?**
जब कोई सार्वजनिक प्राधिकरण सहायक दस्तावेज के लिए अनुरोध करता है, तो आवेदक को उसके मोबाइल या ईमेल आईडी पर अलर्ट भेजा जाता है। ऐसी स्थिति में, आवेदक से अनुरोध किया जाता है कि वह आरटीआई ऑनलाइन वेबसाइट पर जाए और 'स्थिति देखें' में विवरण दर्ज करे। विवरण दर्ज करने के बाद, आरटीआई आवेदन की वर्तमान स्थिति सहायक दस्तावेज अपलोड करने के विकल्प के साथ दिखाई देती है।
